

और ऐसा प्राप्ति करने वाला हर व्यक्ति बिनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई अग्रिमगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

अवशन पॉइंट (पी. 221) से एन. टी. पी. सी. ग्रन्ता (राज.) तक पाइपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : राजस्थान, जिला : कोटा, तहसील : मांगरोल, सब तहसील : ग्रन्ता

गांव	खसरा नं.	हैक्टर	घार	सेन्टी-घार
1	2	3	4	5
कावरी	267	0	02	85
	266	0	12	12
	268	0	04	75
	269	0	53	46
	270	0	01	81
	271	0	23	62
	272	0	56	51
	284	0	09	03
	283	0	20	20
	282	0	26	96
	281	0	32	08
	278	0	03	21
	352	0	31	65
	351	0	02	56
	346	0	84	15
	361	0	35	59
	362	0	13	55
	363	0	70	80
	369	0	29	95
	370	0	04	51

[सं. O-14016/525/85-ओ. पी.]

एम. एस. श्रीनिवासन, निदेशक

S.O. 93.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Junction Point (P-221) to NTPC location at Anta in Rajasthan State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, HBJ Gas Pipeline Project, 58, Bal Mandir Colony, Sawai Madhopur.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Junction Point (P-221) to NTPC location at Anta (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Anta.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kachari	267	0	02	85
	266	0	12	12
	268	0	04	75
	269	0	53	46
	270	0	01	81
	271	0	23	62
	272	0	56	51
	284	0	09	03
	283	0	20	20
	282	0	26	96
	281	0	32	08
	278	0	03	21
	352	0	31	65
	351	0	02	56
	346	0	84	15
	361	0	35	59
	362	0	13	55
	363	0	70	80
	369	0	29	95
	370	0	04	51

[No. O-14016/525/85-GP]

M.S.SRINIVASAN, Director

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1985

का. घा. 94—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. घा. 3356 द्वारा उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सूक्ष्म प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान ही गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 900.00 एकड़ (लगभग) या 364.21 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

घट: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 900.00 एकड़ (लगभग) या 364.21 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला निर्यातक, 1- कार्जिस हाउस, स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेट्टल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्थान अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

ARUNKUMAR TYAGI
Project Officer

घनसूची

पिपरवार विस्तार ब्लॉक

उत्तरी करणपुर कोयला क्षेत्र

डाईंग सं. राजस्व/19/85-सारीख 27-3-85

(जिसमें अर्जित को जाने वाली भूमि दर्जित की गई है)

सभी अधिकांश

क्र. सं.	ग्राम	खाना	घाना संख्यांक	जिला	क्षेत्र	टिप्पणी
1.	किच्छी	ठंडवा	78/235	हजारीबाग	358.94	भाग
2.	पिपरवार या मंगरडाहा	"	80/237	"	86.35	भाग
3.	बिजैन	"	83/240	"	222.86	भाग
4.	सिदातु	"	84/241	"	64.00	भाग
5.	बेन्ती	"	97/254	"	167.85	भाग

कुल क्षेत्र—900.00 एकड़ (लगभग)

या—364.21 हेक्टर (लगभग)

ग्राम किच्छी में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :

1 (भाग), 2 (भाग), 5 (भाग), 6, 7, 8 (भाग), 31 (भाग), 32, 33, 34 (भाग), 56 (भाग), 59 (भाग), 60 (भाग), 61 से 72, 73 (भाग), 74 (भाग), 75 (भाग), 134 (भाग), 137 (भाग), 138 (भाग), 139 (भाग), 140, 141 (भाग), 142 (भाग), 144 (भाग), 145 (भाग), 146, 147, 148 (भाग), 149, 151 (भाग), 152 (भाग), 153 (भाग), 154 से 165, 166 (भाग), 167, 168, 169, 170 (भाग), 171 (भाग), 175 (भाग), 176, 177 (भाग), 203 (भाग), 222 (भाग), 223, 224, 225 (भाग), 227 (भाग), 228 से 241, 242 (भाग), 243 (भाग), 244 (भाग), 246 से 282, 283 (भाग), 284 से 290, 291 (भाग), 292 (भाग), 294 (भाग), 295 से 305, 306 (भाग), 320 (भाग), 321 से 324, 325 (भाग), 329 (भाग), 330 से 353, 354 (भाग), 356 (भाग), 357, 361 (भाग), 392 (भाग), 534 (भाग), 536 (भाग), 537 (भाग), 558 (भाग), 559 (भाग), 633 (भाग), 643 (भाग), 648 (भाग), 653 (भाग), 654 से 660, 662 (भाग) और 663 (भाग).

ग्राम पिपरवार या मंगरडाहा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :—

1, 2 (भाग), 14 (भाग), 15 (भाग), 16 से 21, और 22 (भाग).

ग्राम बिजैन में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :—

265 (भाग), 266 से 277, 278 (भाग), 279 (भाग), 280 से 294, 338, 340 और 341.

ग्राम सिदातु में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक :—

4 (भाग), 127 (भाग), 142 (भाग), 144 (भाग), 157 (भाग), 158 (भाग), 160 (भाग), 161, 162, 163 (भाग), 164 (भाग), 165 (भाग), 169 (भाग), 170, 171 (भाग), 172, 173, 174 (भाग), 175 (भाग), 176, 177, 178 (भाग), 179 से 183, 184 (भाग), 185, (भाग) 187 और 188 (भाग).

ग्राम बेन्ती में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक

1 से 8, 9 (भाग), 10 से 18, 19 (भाग), 20 (भाग), 21 (भाग), 29 से 32, 33 (भाग), 34 (भाग), 35, 36 (भाग), 45 (भाग), 52 (भाग), 72 (भाग), और 647 (भाग).

सीमा वर्णन :

क-ख-ग रेखा सिदातु ग्राम में सारेखा ताला में प्लॉट संख्यांक 4, 188, 163, 160, 158, 157, 174, 175,

144, 142, 185, 127 और 185 तथा प्लॉट संख्यांक 119 की भागतः पूर्वी सीमा से गुजरती है और तब बिजैन ग्राम में प्लॉट संख्यांक 265 से गुजरती है, तत्पश्चात्, नाने की मध्य रेखा के उस भाग के साथ साथ जाती है जो बिजैन और बेन्ती तथा कुटकी खुर्द व बेन्ती ग्रामों की सम्मिलित सीमा है तथा बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ-ङ

रेखा बेन्ती ग्राम में प्लॉट संख्यांक 72, 19, 20, 21, 19, 45, 33, 34, 36, 19, 52, 9 और 647 से होकर जाती है, और फिर ग्राम बिजैन में प्लॉट संख्यांक 279 और 278 से होकर जाती है और तब ग्राम पिपरवार या मंगरडाहा में प्लॉट संख्यांक 2, 15, 14, और 22 में से गुजरती है, ग्राम किच्छी (जो कोयला अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित पिपरवार ब्लॉक की सम्मिलित सीमा है) में प्लॉट संख्यांक 1, 8, 31, 170, 171, 166, 175, 177, 244, 243, 242, 203, 222, 225, 227, 306, 329, 325, 320, 559, 558, 537, 633, 643, 648, 653, 662 और 663 में से होकर जाती है तथा बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च

रेखा रामोदात नदी की मध्य रेखा के उस भाग के साथ साथ जाती है जो कोरीगारा और किच्छी ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "च" पर मिलती है।

च-छ


रेखा, ग्राम किच्छी में प्लॉट संख्यांक 534, 536, 537, 558, 392, 354, 356, 361, 392, 294, 291, 292, 283, 134, 238, 137, 138, 137, 139, 141, 142, 145, 144, 148, 153, 152, 151, 73, 74, 75, 59, 60, 56, 31, 34, 5 और 2 में से होकर जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ-ज

रेखा, ताला की मध्य रेखा के उस भाग के साथ-साथ जाती है जो पिपरवार या मंगरडाहा और बहुरा, पिपरवार या मंगरडाहा और कनोडा, बिजैन और कनोडा ग्रामों की सम्मिलित सीमा है तथा बिजैन और राजधर ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भी साथ साथ जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है।

ज-क

रेखा, सिदातु ग्राम में प्लॉट संख्यांक 185, 184, 178, 185, 171, 169, 163, 164, 165 और


ARUN KUMAR TYAGI
Project Officer
Bihar OpenCast Project

4 से होकर जाती है और सार्वजनिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं. 43015/18/85-सौ. ए]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 23rd December, 1985

S.O. 94.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3356 dated the 27th October, 1984, under Sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands described in the Schedule appended to that notification;

And whereas the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 900.00 acres (approximately) or 364.21 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 900.00 acres (approximately) or 364.21 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

(Piparwar Extension-Block
(North Karanpura Coalfield)

Drg. No. 19/85

Dated 27-3-1985

(Showing lands acquired)

All Rights

Serial Number	Village	Thana	Thana number	District	Area	Remarks
1.	Kichto	Tandwa	78/235	Hazaribagh	358.94	Part
2.	Piparwar or Mangardaha	"	80/237	"	86.35	Part
3.	Bijain	"	83/240	"	222.86	Part
4.	Sidalu	"	84/241	"	64.00	Part
5.	Benti	"	97/254	"	167.85	Part
					Total area: 900.00 acres	
					(approximately)	
					or 364.21 hectares	
					(approximately)	

Plot number acquired in village Kichto

1(Part), 2(Part), 5(Part), 6, 7, 8(Part), 31 (Part), 32, 33, 34(Part) 56(Part), 59(Part), 60(Part), 61 to 72, 73(Part), 74(Part), 75(Part), 134(Part), 137(Part), 138(Part), 139 (Part), 140, 141, (Part), 142(Part), 144(Part), 145(Part), 146, 147, 148(Part), 149 (151(Part), 152(Part), 153(Part), 154 to 165, 166(Part), 167, 168, 169, 170(Part), 171(Part), 175(Part), 176, 177(Part), 203(Part), 223(Part), 223, 224, 225(Part), 227(Part), 228 to 241, 242(Part), 243(Part), 244(Part), 246 to 282, 283(Part), 284 to 290, 291(Part), 292(Part), 294(Part), 295 to 305, 306 (Part), 320(Part), 321 to 324, 325 (Part), 329 (Part), 330 to 353, 354 (Part), 356 (Part), 357, 361 (Part), 392 (Part), 534 (Part), 536(Part), 537 (Part), 558 (Part), 559 (Part), 633 (Part), 643 (Part), 648 (Part), 653 (Part), 654 to 660, 662 (Part), and 663 (Part).

Plot numbers acquired in village Piparwar or Mangardaha:

1, 2 (Part), 14 (Part), 15 (Part), 16 to 21, and 22 (Part).

Plot numbers acquired in village Bijain :

265 (Part), 266 to 277, 278 (Part), 279 (Part), 280 to 294 338, 340 and 341.

Plot numbers acquired in village Sidalu :


4 (Part), 127 (Part), 142 (Part), 144 (Part), 157 (Part), 158 (Part), 160 (Part), 161, 162, 163 (Part), 164 (Part), 165 (Part), 169 (Part), 170, 171 (Part), 172, 173, 174 (Part), 175 (Part), 176, 177, 178 (Part), 179 to 183, 184 (Part), 185 (Part), 187 and 188 (Part).

Plot numbers acquired in village Benti

1 to 8, 9 (Part), 10 to 18, 19 (Part), 20 (Part), 21 (Part), 29 to 32, 33 (Part), 34 (Part), 35, 36 (Part), 45 (Part), 52 (Part), 72 (Part), and 647 (Part).

Boundary Description :

A-B-C Lines pass through plot numbers 4, 188, 163, 160, 158, 157, 174, 175, 144, 142, 185, 127 and 185 and part eastern boundary of plot number 119 in Sarewa Nalla in village Sidalu then through plot number 265 in village Bijain,


24.7.2019
ARUN KUMAR TYAGI
Project Officer
Piparwar OpenCast Project

then passes along part Central line of the Nalla which forms common boundary of villages Bijain and Benti and Kutkikhurd and Bent and meets at point 'C'.

- C-D-E lines pass through plot numbers 72, 19, 20, 21, 19, 45, 33, 34, 36, 19, 52, 9 and 647 in village Benti through plot numbers 279, and 278 in village Bijain, through plot numbers 2, 105e, 14 and 22 in village Piparwar or Mangardaha, through plot numbers 1, 8, 31, 170, 171, 166, 175, 177, 244, 243, 242, 203, 222, 225, 227, 306, 329, 325, 320, 559, 558, 537, 633, 643, 648, 653, 662 and 663 in village Kichto (which forms part common boundary of Piparwar block acquired U/s 9 (1) of the Coal Act) and meets at point 'E'.
- E-F line passes along part Central line of Damodar River which forms common boundary of village Korigara and Kichto and meets at point 'F'.
- F-G line passes through plot numbers 534, 536, 537, 558, 392, 354, 356, 392, 361, 294, 291, 292, 283, 134, 238, 137, 138, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 144, 148, 153, 152, 151, 73, 74, 75, 59, 60, 56, 31, 34, 5 and 2 in village Kichto and meets at point 'G'.
- G-H line passes along part Central line of the Nalla (which forms common boundary of villages Piparwar or Mangardaha and Bahera, Piparwar or Mangardaha and Kanauda, Bijain and Kanauda and also along common boundary of villages Bijain and Rajdhar and meets at point 'H'.
- H-A line passes through plot numbers 185, 184, 178, 185, 171, 169, 163, 164, 165 and 4 in village Sidahu and meets at starting point 'A'.

[No. 43015/18/85-CA]

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1985

क्र. घा. 95.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपायधन अनुचौकी में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अजमेर और बिकानेर) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वोक्षण करने के अपने दायित्व को सुचना देती है;

इस अधिसूचना के अधीन होने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. बी. सी. सी. एल./ई. डी./50-85 और बी. सी. सी. एल./ई. डी./51-85 तारीख 31-8-1985 का निरीक्षण कलकत्ता, धनबाद (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, कार्मिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या निदेशक (निर्गमित योजना और परियोजना) भारत कोयला कोल लि., कोयला भवन, डाकघर कोयला नगर, जिला धनबाद (बिहार) में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन होने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में निदिष्ट सभी तथ्यों, बातों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख

से लम्बे दिन के भीतर, निदेशक (संक्रिया) पश्चिम, भारत कोयला कोल लि. धनबाद (बिहार) को भेजना।

अनुचौकी

सिगरा ब्लॉक "न"

सरिया कोयला क्षेत्र

(क्षेत्र सं. बी. सी. सी. एल./ई. डी./50 (पूर्वोक्षण के लिए अधिसूचित) और 51-85 तारीख 31-8-1985 भूमि)

क्र. सं.	भाग	प्लान सं.	प्लान जि. क्षेत्र (एकड़ों में)	टिप्पणियाँ
1.	मनीडीह	85	सरिया धनबाद	10.240 भाग
2.	गरभूडीह	86	" "	14.750 "
3.	सरायडाहा	87	" "	83.250 संपूर्ण
4.	लकड़खारी	88	" "	114.920 "
5.	कारीतानर	89	" "	45.800 भाग
6.	तेतगाबाद	90	" "	90.520 संपूर्ण
7.	माजीलाडीह	91	" "	90.250 भाग
8.	बरभूमी	92	" "	68.640 "
9.	बानूडीह	93	" "	0.602 "
10.	दुबराजपुर	94	" "	16.000 "

534.972 हेक्टर (समभग)

या 321.28 एकड़ (समभग)

सिगरा ब्लॉक "न" का सीमा वर्णन

सरिया कोयला क्षेत्र

- क-ख रेखा, मौजा गरभूडीह, मनीडीह और दुबराजपुर के प्लाटों में से होकर जाती है।
- ख-ग रेखा, मौजा दुबराजपुर और बरभूमी के प्लाटों में से होकर जाती है।
- ग-घ/1 रेखा, मौजा बरभूमी के प्लाटों में से होकर जाती है।
- घ/1डी रेखा, मौजा बरभूमी के प्लाटों में से होकर जाती है।
- डी/1-5 रेखा, मौजा कारीतानर के प्लाटों में से होकर जाती है।
- ड-1 रेखा, मौजा माजीलाडीह के प्लाटों में से होकर जाती है।
- ड-2 रेखा, मौजा माजीलाडीह के प्लाटों में से होकर जाती है।
- ड-3 रेखा, मौजा तेतगाबाद की दामोदर नदी के पश्चिमी तट के साथ-साथ जाती है।
- ड-4 रेखा, मौजा तेतगाबाद की दामोदर नदी के उत्तरी तट के साथ-साथ जाती है।
- ड-5 रेखा, मौजा तेतगाबाद, माजीलाडीह, कारीतानर और लकड़खारी की कातरी नदी के पूर्वी तट के साथ-साथ जाती है।
- ड-6 रेखा, मौजा लकड़खारी और सरायडाहा की कातरी नदी के उत्तरी तट के साथ-साथ जाती है।
- ड-7 रेखा, मौजा सरायडाहा और गरभूडीह की कातरी नदी के पूर्वी तट के साथ-साथ जाती है।

[सं. 43015/25/85-सी. ए. [समय सिंह, प्रवर मन्त्रि

ARUN KUMAR TYAGI
Project Officer